राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 736/2024

झाबर मल जाट **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, निदेशालय जयपुर (राज.)।
3. उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर), जयपुर (राज.)।
4. मनमोहन शर्मा, सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड द्वितीय, भौतिक सत्यापन ईकाई, निरीक्षण विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश लाम्बा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड द्वितीय के पद पर उपवन संरक्षक, जयपुर उत्तर, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (परिवार कल्याण), जयपुर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.11.2022 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया और मात्र डेढ वर्ष की अल्पावधि में ही अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण कर दिया गया, जो निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी

का स्थानान्तरण किया गया है, जबकि ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में अनुचित माना गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया है, जो विधि एवं राज्य सरकार के नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड द्वितीय के पद पर उपवन संरक्षक, जयपुर उत्तर, जयपुर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को डेढ वर्ष की अल्पावधि में स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी का स्थानान्तरण जनहित को ध्यान में रखते हुये प्रशासनिक अत्यावश्यकता के आधार पर किया गया है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है और प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)